राजस्थान सरकार
गृह(ग्रुप–12)विभाग

क्रमांक : प.1(4)गृह–12/कारा/2018 जयपुर,दिनांक 04 JUN 2019

:: आदेश ::

कारागार विभाग की उपाधीक्षक से अधीक्षक ग्रेड–II के पद पर वर्ष 209–10 की विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 14.06.2018 को सम्पन्न बैठक में श्री राकेश कुमार भार्गव के विरूद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सांप्रदायिक कोटा में मुकदमा नं. 47/09 अन्तर्गत धारा 523, 504, 341, 354 एवं 3 एस.सी./एस.टी एक्ट में दर्ज होकर न्यायालय में विचाराधीन होने तथा प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान दिनांक 12.02.2009 को लिये जाने के कारण इनकी पदोन्नति की अनुशंषा को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सांप्रदायिक कोटा के निर्णय के अध्यधीन रखते हुए सील कवर में रखे जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।

माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) कोटा के निर्णय दिनांक 25.09.2018 के द्वारा श्री राकेश भार्गव को धारा 3(1)(X) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) अधिनियम के आरोप में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया। धारा 341, 323, 504 आईपीसी के आरोप में पूर्व में ही जरिये राजीनामा दोषमुक्त किया जा चुका है। प्रकरण में विधि परामर्शी विधि (प्रकोष्ठ–4) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र दिनांक 18.12.2018 के द्वारा निर्णय दिनांक 25.09.2018 के विरूद्ध अपील/रिवीजन/याचिका पेश नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

प्रकरण में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 25.09.2018 द्वारा दोषमुक्त किये जाने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा दिनांक 16.06.2018 के अनुसार श्री राकेश कुमार भार्गव उपाधीक्षक (सेवानिवृत दिनांक 31.07.2014) नियमानुसार पदोन्नति के पात्र है। अतः राजस्थान जेल सेवा नियम, 1959 के नियम 23 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर वर्ष 2009–10 की रिक्ति मे श्री राकेश कुमार भार्गव, उपाधीक्षक (सेवानिवृत दिनांक 31.07.2014) को राजस्थान जेल सेवा के अधीक्षक ग्रेड–II के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

श्री भार्गव को वर्ष 2009–10 की रिक्ति से अधीक्षक ग्रेड–II के पद पर पदोन्नति का नोशनल लाभ देय होगा।

आज्ञा से,

(कैलाश चन्द)
शासन उप सचिव,

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0मुख्य सचिव, गृह विभाग।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग।
4. महालेखाकार, (लेखा सिविल परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
5. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. श्री राकेश कुमार भार्गव उपाधीक्षक (सेवानिवृत दिनांक 31.07.2014)मार्फत महानिदेशक कारागार, राजस्थान,जयपुर।
9. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप–6)विभाग को अपलोड करने हेतु।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(शंकर सिंह मनोहर)
सहायक शासन सचिव,